भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2167

दिनांक 06.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

ई–माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से उत्प्रवास संबंधी मंजूरियां

2167.श्री हारिस बीरान

क्या ***विदेश*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान ई–माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से केरल के कामगारों को जारी की गई उत्प्रवास मंजूरियों की वर्ष–वार संख्या कितनी है;

(ख) अवैध विदेशी भर्ती को रोकने हेतु ई–माइग्रेट 2.0 पोर्टल के राज्य–स्तरीय डेटाबेसों, विशेष रूप से केरल के अनिवासी केरलवासियों से सम्बंधित मामले (नोरका) विभाग के साथ तकनीकी एकीकरण, की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान केरल से संबंधित भर्ती से सम्बंधित धोखाधड़ी की शिकायतों में से ई–माइग्रेट एवं एमएडीएडी पोर्टलों पर कितनी शिकायतें पंजीकृत की गई और उनका समाधान किया गया तथा उनके निवारण में लगने वाला औसत समय कितना था?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान ई–माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से केरल के प्रवासी श्रमिकों को जारी की गई उत्प्रवास मंजूरियों की संख्या नीचे दी गई है:–

वित्तीय वर्ष 2023–24–	18,254
वित्तीय वर्ष 2024–25 –	17,123
वित्तीय वर्ष 2025–26 –	13,566

राज्य सरकारों द्वारा नामित राज्य नोडल अधिकारियों को ई–माइग्रेट पोर्टल पर शिकायत संबंधी डेटा तक पहुँच प्रदान की गई है, ताकि राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा अवैध विदेशी भर्ती को रोकने के लिए गैर–पंजीकृत एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

(ख) वर्ष 2023–25 की अवधि के दौरान, ई–माइग्रेट पोर्टल पर केरल से कुल 603 शिकायतें दर्ज की गईं। इसी अवधि के दौरान कुल 404 शिकायतों का निवारण किया गया।

(ग) वर्ष 2023–25 की अवधि के दौरान, अनधिकृत भर्ती एजेंटों द्वारा की गई अवैध भर्ती गतिविधियों से संबंधित कुल 3 शिकायतें केरल से प्राप्त हुईं। मदद पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, इन सभी 3 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है।
